भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4145

19.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

ऑटोमोबाइल कंपनियों को चीन में विनिर्मित मोटरों का उपयोग करने की अनुमति देना

4145.**श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः**

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री मनीष जायसवाल:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को उत्पादन पर सरकारी राजसहायता (एसओपी) का लाभ जारी रखने के लिए तथा चीन द्वारा चुंबक पर लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों से बचने हेतु अपने वाहनों में पूरी तरह से चीन-निर्मित मोटरों का उपयोग करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका विनिर्माताओं तथा उनके स्थानीय व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) ऐसे उपयोग से राष्ट्रीय हित और सुरक्षा का हित सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं या क्या शर्तें रखी गई हैं;

(घ) क्या सरकार ने अपनी घरेलू विनिर्माण नीति के अंतर्गत वाहन विनिर्माताओं के लिए केंद्रीय सहायता प्राप्त करने या लाभों का दावा करने हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ऑटो विनिर्माण में अधिकाधिक घरेलू सामग्री को बढ़ावा देने के लिए राजसहायता नीतियों की समीक्षा या संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग): ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग (पीएलआई ऑटो स्कीम) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम और भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की स्कीम (एसपीएमईपीसीआई) के तहत भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिससे ऑटोमोबिल फर्मों को चीन के चुंबकीय निर्यात प्रतिबंधों से बचने के लिए अपने वाहनों में पूरी तरह से चीन निर्मित मोटर्स का उपयोग करने की अनुमति मिल सके।

(घ): पीएलआई ऑटो स्कीम के तहत, अनुमोदित आवेदकों को स्कीम के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 50% की निवेश सीमा, वृद्धिशील बिक्री सीमा और घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) प्राप्त करना आवश्यक है। एसपीएमईपीसीआई के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, अनुमोदित आवेदकों को न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपये के निवेश के साथ भारत में ई-चौपहिया की विनिर्माण सुविधा केंद्र स्थापित करने होंगे और भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदन जारी करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के भीतर सुविधा केंद्रों को चालू करना होगा और तीसरे वर्ष तक न्यूनतम 25% और 5वें वर्ष तक 50% डीवीए प्राप्त करना होगा।

(ङ) और (च): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

******